

कार्यालय

जिलाधिकारी

बुलन्दशहर।

पत्रांक: 4330 / न्याय सहायक / कोरोना वायरस / 2020

दिनांक: 31.08.2020

मा0 जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

बुलन्दशहर।

महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांक 21.05.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत न्यायालय परिसर, बुलन्दशहर में न्यायिक कार्य प्रारम्भ होना अवगत कराते हुए, माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार नित्य प्रतिदिन 3.00 बजे कोविड-19 के श्रेट लेवल की आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि मा0 मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, गृह (गोपन) अनुभाग-3, लखनऊ के पत्र संख्या-1382/2020/सीएक्स-3 दिनांक 31.05.2020 व पत्रांक-1821/2020-सीएक्स-3 दिनांक 24 जुलाई, 2020 के अनुसार जोन को निम्न प्रकार परिभाषित किया गया है:-

शहरी क्षेत्र:-

- (1) जहाँ शहरी क्षेत्र में सिंगल केस है वहाँ पर 100 मीटर के रेडियस में अथवा पूरा मौहल्ला, जो भी कम हो।
- (2) एक से ज्यादा केस होने पर, कलस्टर की स्थिति में, 200 मीटर के रेडियस में कन्टेनमेंट जोन होगा तथा उसके उपरान्त स्थानीय स्तर पर परिस्थितियों के अनुसार बफर जोन का निर्धारण किया जायेगा।
- (3) आवासीय बहुमंजिला सोसाइटियों के सम्बन्ध में कन्टेनमेंट-जोन घोषित करने हेतु निम्नानुसार नीति अपनाई जाएगी-
 - (i) ऐसे बहुमंजिला भवनों/टॉवर वाली सोसायटी में यदि एक ही फ्लोर पर एक या अधिक सक्रिय केस हो तो ऐसे टॉवर/बहुमंजिला भवन को कन्टेनमेंट-जोन घोषित किया जाएगा।
 - (ii) यदि एक सोसायटी में एक से अधिक टॉवरों में सक्रिय केस पाए जाते हैं तो ऐसी सोसायटी में सम्बन्धित टॉवरों तथा सार्वजनिक प्रयोग के स्थानों यथा पार्क, जिम, तरण-ताल, बैक्वेट-हॉल आदि को भी कन्टेनमेंट जोन में शामिल करते हुए तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाएगा जिससे कि संक्रमण का प्रसार अन्य व्यक्तियों में न होने पाए।
- (4) वाणिज्यिक/औद्योगिक/कार्यालय भवनों के परिसर में कन्टेनमेंट-जोन के सम्बन्ध में
 - (i) ऐसे स्थानों पर जहाँ सक्रिय केस/मरीज काम करता रहा हो ऐसे स्थानों को संक्रमण के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से सैनिटाइजेशन/निसंक्रमित करने हेतु 24 घंटों के लिए तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाएगा। कोविड-19 प्रोटोकॉल के दृष्टिगत सैनिटाइजेशन/निसंक्रमित करने के सम्बन्ध में होने वाले व्यय को ऐसे भवनों के अध्यासियों द्वारा वहन किया जाएगा।
 - (ii) ऐसे भवनों/परिसरों को पूर्णरूप से सैनिटाइज/निसंक्रमित करने के उपरान्त ही पुनः प्रयोग किया जाएगा।
- (5) सक्रिय केस यदि बहुमंजिला टॉवर/भवन में पाया जाए
 - (i) यदि एकल-तल (Single-Floor) पर सक्रिय केस पाया जाए तो ऐसा तल सील कर दिया जाएगा।
 - (ii) यदि एक से अधिक तलों पर सक्रिय केस पाए जाए तो सम्पूर्ण भवन/टॉवर को सील कर दिया जाएगा।
ऐसे तलों (Floors)/भवनों को पुनः प्रयोग करने के सम्बन्ध में बिन्दु संख्या-4(ii) के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

ग्रामीण क्षेत्र:-

- (1) जहाँ सिंगल केस है, वहाँ पर राजस्व ग्राम के सम्बन्धित मजरे की आबादी।
- (2) यदि गांव में एक से अधिक केस (कलस्टर) है तो ऐसी स्थिति में उक्त राजस्व ग्राम के सम्बन्धित मजरे की आबादी कन्टेनमेंट जोन होगा। इस गांव के इर्द-गिर्द पड़ने वाले दूसरे राजस्व ग्रामों के मजरे बफर जोन में आएंगे।

प्रभारी निरीक्षक, स्थानीय अभिसूचना इकाई, बुलन्दशहर द्वारा अपनी आख्या पत्रांक-एल.आई.यू./सी-34/2020 दिनांक 31.08.2020 में अवगत कराया गया है कि "विगत काफी समय से प्रदेश एवं देश में कोरोना संक्रमण के फैलने के कारण लॉकडाउन को कुछ शर्तों के साथ खोला गया है। विगत में देश के अन्य प्रान्तों महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा आदि से प्रवासी मजदूर आदि वापस आये थे, जिनमें से कुछ लोग विगत दिनों संक्रमित भी पाये गये थे।

यद्यपि जनपद में प्रशासन/पुलिस द्वारा लॉकडाउन के नियमों का पालन कराया जा रहा है, परन्तु कतिपय दुकानदारों तथा ग्राहकों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न किये जाने के कारण संक्रमण फैलने का खतरा बना रहता है। "

महोदय को यह भी अवगत कराना है कि जनपद बुलन्दशहर में 110 हॉट स्पॉट चिन्हित कर सील किये गये हैं, जिनमें 35-मौ0 राधानगर बुलन्दशहर, टैगोर वाली गली कृष्णा नगर, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, एच0 ब्लॉक यमुनापुरम, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, पुलिस लाईन रोड, नगरीय क्षेत्र, बुलन्दशहर, नजीमपुरा भूड़, बुलन्दशहर, आवास विकास प्रथम, बुलन्दशहर, मौ0 शास्त्री नगर नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ0 ज्ञानलोक कालोनी, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ0 राजनगर चोंदपुर रोड नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ0 देवीपुरा-1, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ0 शिवपुरी नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, सुशीला बिहार-2 नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, के0पी0रोड नियर फीमेल हॉस्पिटल नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, टांडा नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, प्रीत बिहार नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ0 आर0के0पुरम, बुलन्दशहर, मानसरोवर कालोनी नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, सूर्य नगर नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, गंगानगर, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ0 अराजियात, पुरानी जेल के पीछे, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, रामा एन्कलेव, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, लोधी कालोनी, पन्नी नगर, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ0 लाला कृष्णदयाल का अहाता, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, आदर्श नगर, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, अम्बा

एन्कलेव, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, दुर्गापुरम, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, धमैडा अड़डा नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ0मुशीपाडा नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ0चौहट्टी ऊपरकोट नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ0हरी एनक्लेव नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, आवास विकास-द्वितीय नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ0 ईटा रोड़ी, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ0विजय नगर देवीपुरा-द्वितीय नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, फतहगंज मण्डी, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ0साठा नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर बने हैं। इसके अतिरिक्त जनपद बुलन्दशहर में 75 हॉटस्पॉट- ग्राम रहमापुर, वि0ख0 दानपुर, तहसील डिबाई, ग्राम हजरतपुर, वि0ख0 व तहसील खुर्जा, ग्राम किला मेवई वि0ख0 व तहसील खुर्जा, मौ0मुफतीवाडा नगरीय क्षेत्र शिकारपुर, मौ0 सराय कुन्दन नगरीय क्षेत्र डिबाई, ग्राम बरौली वि0ख0 व तहसील शिकारपुर, सैनी धर्मशाला वाली गली, सुभाष रोड नगरीय क्षेत्र खुर्जा, कसेर कलौ वि0ख0 व तहसील डिबाई, डाक बंगला रोड, नगरीय क्षेत्र डिबाई, ग्राम मालागढ वि0ख0 अगौता तहसील बुलन्दशहर, एन0ए0पी0पी0 टाउनशिप, नरौरा तहसील डिबाई, ग्राम गंगागढ वि0ख0 पहासू तहसील शिकारपुर, ग्राम ताजपुर वि0ख0 व तहसील बुलन्दशहर, ग्राम भमरा वि0ख0 गुलावठी तहसील बुलन्दशहर, काकर की मटैया (बराल), वि0ख0 गुलावठी तहसील बुलन्दशहर, ग्राम नगला सोही वि0ख0पहासू तहसील शिकारपुर, मौ0शिवपुरी नगरीय क्षेत्र पहासू तहसील शिकारपुर, ग्राम भौरा वि0ख0 व तहसील सिकन्द्राबाद, मौ0 चौक गली नगरीय क्षेत्र शिकारपुर, ग्राम गोधना वि0ख0 जहाँगीराबाद तहसील अनूपशहर, ग्राम जीवत वि0ख0 लखावटी, तहसील बुलन्दशहर, ग्राम मिर्जापुर वि0ख0 व तहसील बुलन्दशहर, ग्राम हजरतपुर पूठरी, वि0ख0 अर्निया तहसील खुर्जा, मौ0 नेहरूगंज नई बस्ती नगरीय क्षेत्र अनूपशहर, मौ0 पटपड़े, ग्राम मड़ोना, वि0ख0 बी0बी0नगर तहसील स्याना, ग्राम नेहरूपुर, वि0ख0 व तहसील खुर्जा, ग्राम लखावटी मिर्जापुर, वि0ख0 व तहसील खुर्जा, ग्राम जालखेड़ा, वि0ख0 व तहसील बुलन्दशहर, मौ0 लाल दरवाजा, नगरीय क्षेत्र शिकारपुर, मौ0 सराय पुख्ता (हनुमान चौक), नगरीय क्षेत्र शिकारपुर, ग्राम करैना, वि0ख0 पहासू तहसील शिकारपुर, ग्राम बढडा वाजिदपुर, वि0ख0 व तहसील स्याना, मौ0 राजाराम पटटी, नगरीय क्षेत्र स्याना, ग्राम किसौली, वि0ख0 अगौता, तहसील बुलन्दशहर, मौ0 गोपालपुरी, नगर पंचायत नरौरा, तहसील डिबाई, लक्ष्मी बिहार कालोनी नगरीय क्षेत्र स्याना, ग्राम रिवाड़ा, वि0ख0 व तहसील शिकारपुर, मौ0 मण्डी हरदेव, नगरीय क्षेत्र डिबाई, मौ0 कस्सावान, नगरीय क्षेत्र डिबाई, शीला सदन गली, मौ0 महादेव, नगरीय क्षेत्र डिबाई, ग्राम शरीफपुर भैसरोली, वि0ख0 अगौता, तहसील बुलन्दशहर, मौ0 पुख्ता बाजार, जहाँगीराबाद, तहसील अनूपशहर, मौ0रुई का पेच, नगरीय क्षेत्र सिकन्द्राबाद, माजरा नगला उग्रसैन ग्राम कुचेसर वि0ख0 बी0बी0नगर तहसील स्याना, मौ0पुराना छत्ता, नगरीय क्षेत्र स्याना, नगला मोहिउदीनपुर वि0ख0 व तहसील खुर्जा, सुनारो वाला मौहल्ला वार्ड नं0 06 कस्वा बी0बी0 नगर तहसील स्याना, जीवन गीत कालोनी निकट रेनेसा स्कूल वि0ख0 व तहसील बुलन्दशहर, ग्राम किरा वि0ख0 व तहसील खुर्जा, मठ मन्दिर वाली गली सुभाष रोड नगरीय क्षेत्र खुर्जा, ग्राम बोढा वि0ख0 व तहसील सिकन्द्राबाद, ग्राम खैरपुर वि0ख0 बी0बी0नगर तहसील स्याना, ग्राम सारसौल वि0ख0 अर्निया व तहसील खुर्जाग्राम नगला कटक, वि0ख0 बी0बी0नगर तहसील स्याना, मौ0बाबडी नगरीय क्षेत्र अनूपशहर, ग्राम घोसीपुरा, वि0ख0 व तहसील डिबाई, ग्राम चित्तौन वि0ख0 व तहसील शिकारपुर, मौ0चैनपुरा नगरीय क्षेत्र शिकारपुर, गली नं0 13 मौ0 न्यू शिवपुरी नगरीय क्षेत्र खुर्जा, मौ0 खवेशज्ञान नगरीय क्षेत्र खुर्जा, लोहे की टंकी, सुभाष रोड मौ0 पंजाबियान नगरीय क्षेत्र खुर्जा, दुर्गा मन्दिर किला रोड, नगरीय क्षेत्र खुर्जा, ग्राम मरु वि0ख0 व तहसील अनूपशहर, मौ0गायत्री नगर नगरीय क्षेत्र जहाँगीराबाद, ग्राम महेशपुर वि0ख0 लखावटी तहसील बुलन्दशहर, ग्राम परवाना वि0ख0जहाँगीराबाद तहसील स्याना, मौ0बडी होली नियर देवी मन्दिर नगरीय क्षेत्र खुर्जा, ग्राम नगला लुफतीपुर वि0ख0 व तहसील शिकारपुर, ग्राम पड़ोडपुर हवेली, वि0ख0 व तहसील शिकारपुर, ग्राम बुढासी वि0ख0 पहासू तहसील शिकारपुर, ग्राम स्यारली वि0ख0 पहासू तहसील शिकारपुर, मौ0 सलमा हकान, नियर बिजलीघर नं0-2 नगरीय क्षेत्र खुर्जा, ग्राम भगवानपुर वि0ख0 व तहसील खुर्जा, ग्राम असावरी, वि0ख0 व तहसील शिकारपुर, ग्राम जवासा वि0ख0 जहाँगीराबाद तहसील स्याना बने हैं, जिनमें पाये गये पॉजिटिव व्यक्तियों की संख्या संलग्न कर सादर सूचनार्थ प्रेषित है।

आज दिनांक 31.08.2020 तक जनपद में कोरोना पॉजिटिव की संख्या-2255 है, 1181 व्यक्ति होम क्वारेन्टाईन में हैं। जनपद में 46 कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है।

महोदय यहाँ यह भी अवगत कराना है कि प्रवासी मजदूरों के कारण संक्रमण न फैलें, इस हेतु आवश्यक सेवाओं को छोड़कर शेष बाजार बन्द करने के निर्देश है। उपरोक्त स्थितियों में यदि वादकारियों के रूप से बाहर से आये प्रवासी मजदूरों में काफी लोग न्यायालय में पहुँचेंगे, जिससे माननीय न्यायिक अधिकारीगण, कर्मचारीगण एवं अधिवक्तागण में संक्रमण होने की सम्भावना बढ़ सकती है। आख्या महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित है।

संलग्नक: यथोक्त

अपर जिलाधिकारी-प्रशासन,
बुलन्दशहर।

प्रतिलिपि:- जिलाधिकारी महोदय की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

अपर जिलाधिकारी-प्रशासन,
बुलन्दशहर।

स्थानीय

पत्रांक-एल.आई.यू./सी-34/2020

स्थानीय अभिसूचना इकाई
बुलन्दशहर

दिनांक-अगस्त 31, 2020

सेवा में,

अपर जिलाधिकारी(प्रशासन)

जनपद बुलन्दशहर ।

कृपया अवगत कराना है कि विगत काफी समय से प्रदेश एवं देश में कोरोना संक्रमण के फैलने के कारण लॉकडाउन को कुछ शर्तों के साथ खोला गया है। विगत में देश के अन्य प्रान्तों महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा आदि से प्रवासी मजदूर आदि वापस आये थे, जिनमें से कुछ लोग विगत दिनों संक्रमित भी पाये गये थे।

यद्यपि जनपद में प्रशासन/पुलिस द्वारा लॉकडाउन के नियमों का पालन कराया जा रहा है। परन्तु कतिपय दुकानदारों तथा ग्राहकों के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग तथा नियमों का पालन न किये जाने के कारण संक्रमण फैलने का खतरा बना रहता है।

अतः उक्त के दृष्टिगत लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराने व अनावश्यक दुकानों पर भीड़ एकत्रित न करने हेतु समझाया जाना तथा समुचित सतर्कता/पुलिस प्रबन्ध सहित आवश्यक कार्यवाही किया जाना समीचीन होगा।

31/8/2020

प्रभारी निरीक्षक

स्थानीय अभिसूचना इकाई
बुलन्दशहर

आदेश

उत्तर प्रदेश शासन राजस्व अनुभाग-11 के शासनादेश संख्या-195/एक-11-2020/रा0-11 दिनांक 24 मार्च 2020 के द्वारा भारत सरकार के आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 सपठित उत्तर प्रदेश आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा-2 उपधारा(जी) के अन्तर्गत कोविड-19 के कारण फैल रही महामारी को "आपदा" घोषित किया गया है। वर्तमान में मा0मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन ने पत्रांक 1903/2020/सीएक्स-3 दिनांक 30-07-2020 के द्वारा अपने पूर्व पत्र दिनांक 30 जून 2020 में यथासंशोधन करते हुए अनलॉक-03 दिशा-निर्देश दिनांक 31-08-2020 तक जारी रखने के विस्तृत निर्देश दिये गये हैं।

उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा अनुभाग-5 लखनऊ द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या 548/पॉच-5-2020 दिनांक 14 मार्च, 2020 द्वारा महामारी अधिनियम 1897 (अधिनियम संख्या-3 सन् 1897) की धारा-2 के अधीन उत्तर प्रदेश महामारी कोविड विनियमावली 2020 के प्रस्तर-12 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं रविन्द्र कुमार, जिला मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर कोरोना वायरस से पीड़ित/संकमित मामलों के दृष्टिगोचर होने के परिणामस्वरूप तत्काल प्रभाव से कोविड-19 के फैलाव को रोकने एवं बचाव किये जाने के उद्देश्य से जनपद बुलन्दशहर के निम्नांकित क्रम सं0 104 से 110 पर अंकित क्षेत्रों/कन्टेनमेन्ट जोन को निर्धारित प्रोटोकाल के अनुसार दिनांक 30 अगस्त, 2020 की सायं 08:00 बजे से अग्रिम आदेशों तक अस्थायी रूप से सील किये जाने का आदेश देता हूँ। अन्य कन्टेनमेन्ट जोन सम्मुख अंकित दिनांक से पूर्व में ही सील किये जा चुके हैं:-

क्र0सं0	कन्टेनमेन्ट जोन का नाम	घोषित दि0	थाना क्षेत्र
1	मौ0 राधानगर, बुलन्दशहर	21-06-2020	को0नगर बुलन्दशहर
2	टैगोर वाली गली, कृष्णा नगर, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर	28-07-2020	को0नगर बुलन्दशहर
3	एच ब्लॉक, यमुनापुरम नगरीय क्षेत्र, बुलन्दशहर	28-07-2020	को0देहात बु0शहर
4	ग्राम रहमापुर, वि0ख0 दानपुर, तहसील डिबाई	03-08-2020	डिबाई
5	पुलिस लाइन रोड, नगरीय क्षेत्र, बुलन्दशहर	09-08-2020	को0नगर बुलन्दशहर
6	नजीमपुरा भूड, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर	11-08-2020	को0नगर बुलन्दशहर
7	आवास विकास प्रथम, बुलन्दशहर	11-08-2020	को0नगर बुलन्दशहर
8	ग्राम हजरतपुर, वि0ख0 व तहसील खुर्जा	11-08-2020	खुर्जा देहात
9	ग्राम किला मवई वि0ख0 व तहसील खुर्जा	12-08-2020	खुर्जा नगर
10	मौ0 मुपतीवाड़ा, नगरीय क्षेत्र शिकारपुर	13-08-2020	शिकारपुर
11	मौ0 सराय कुन्दन, नगरीय क्षेत्र डिबाई	14-08-2020	डिबाई
12	मौ0 शास्त्री नगर, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर	14-08-2020	को0नगर बुलन्दशहर
13	मौ0 ज्ञान लोक कालोनी, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर	14-08-2020	को0नगर बुलन्दशहर
14	मौ0 राजनगर, चौदपुर रोड, नगरीय क्षेत्र, बुलन्दशहर	14-08-2020	को0नगर बुलन्दशहर
15	ग्राम बरौली, वि0ख व तहसील शिकारपुर	14-08-2020	शिकारपुर
16	सैनी धर्मशाला वाली गली, सुभाष रोड, नगरीय क्षेत्र खुर्जा	14-08-2020	खुर्जा नगर
17	मौ0 देवीपुरा-1, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर	15-08-2020	को0नगर बुलन्दशहर
18	कसेर कला, वि0ख0 व तहसील डिबाई	15-08-2020	डिबाई
19	डाक बंगला रोड, नगरीय क्षेत्र डिबाई	15-08-2020	डिबाई
20	ग्राम मालागढ़, वि0ख0 अगौता तहसील बुलन्दशहर	16-08-2020	अगौता
21	एन0ए0पी0पी0 टाउनशिप, नरौरा तहसील डिबाई	16-08-2020	नरौरा
22	ग्राम गंगागढ़, वि0ख0 पहासू तहसील शिकारपुर	16-08-2020	पहासू
23	ग्राम ताजपुर, वि0ख0 व तहसील बुलन्दशहर	17-08-2020	को0देहात बु0शहर
24	ग्राम भमरा, वि0ख0 गुलावठी, तहसील बुलन्दशहर	17-08-2020	गुलावठी
25	काकर की मढ़ैया (बराल), वि0ख0 गुलावठी तहसील बुलन्दशहर	17-08-2020	गुलावठी
26	मौ0 शिवपुरी, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर	17-08-2020	को0नगर बुलन्दशहर
27	ग्राम नगला सोही, वि0ख0 पहासू तहसील शिकारपुर	17-08-2020	पहासू
28	मौ0 शिवपुरी, नगरीय क्षेत्र पहासू तहसील शिकारपुर	17-08-2020	पहासू
29	ग्राम भौरा, वि0ख0 व तहसील सिकन्द्राबाद	18-08-2020	ककोड़
30	मौ0 चौक गली, नगरीय क्षेत्र शिकारपुर	18-08-2020	शिकारपुर
31	ग्राम गोधना, वि0ख0 जहाँगीराबाद तहसील अनूपशहर	18-08-2020	जहाँगीराबाद
32	ग्राम जीवत, वि0ख0 लखावटी तहसील बुलन्दशहर	18-08-2020	को0देहात बु0शहर

33	सुशीला बिहार-2 नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर	19-08-2020	को0नगर बुलन्दशहर
34	कै0पी0रोड, नियर फीमेल हॉस्पिटल, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर	19-08-2020	को0नगर बुलन्दशहर
35	ग्राम मिर्जापुर, वि0ख0 व तहसील बुलन्दशहर	19-08-2020	को0देहात बु0शहर
36	ग्राम हजरतपुर पूठरी, वि0ख0 अर्निया, तहसील खुर्जा	19-08-2020	खुर्जा देहात
37	मौ0 नेहरूगंज नई बस्ती, नगरीय क्षेत्र अनूपशहर	20-08-2020	अनूपशहर
38	टांडा, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर	20-08-2020	को0देहात बु0शहर
39	प्रीत बिहार, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर	20-08-2020	को0नगर बुलन्दशहर
40	मौ0 पटपड़े, ग्राम मड़ोना, वि0ख0 बी0बी0नगर तहसील स्याना	21-08-2020	बी0बी0 नगर
41	ग्राम नेहरूपुर वि0ख0 व तहसील खुर्जा	21-08-2020	खुर्जा नगर
42	ग्राम लखावटी मिर्जापुर, वि0ख0 व तहसील खुर्जा	21-08-2020	खुर्जा देहात
43	मौ0 आर0के0 पुरम, बुलन्दशहर	21-08-2020	को0नगर बुलन्दशहर
44	मानसरोवर कालोनी, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर	21-08-2020	को0नगर बुलन्दशहर
45	सूर्य नगर, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर	21-08-2020	को0नगर बुलन्दशहर
46	गंगानगर, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर	21-08-2020	को0देहात बुलन्दशहर
47	ग्राम जालखेडा, वि0ख0 व तहसील बुलन्दशहर	21-08-2020	को0देहात बु0शहर
48	मौ0 लालदरवाजा, नगरीय क्षेत्र शिकारपुर	21-08-2020	शिकारपुर
49	मौ0 सराय पुख्ता (हनुमान चौक), नगरीय क्षेत्र शिकारपुर	21-08-2020	शिकारपुर
50	ग्राम करैना वि0ख0 पहासू तहसील शिकारपुर	21-08-2020	शिकारपुर
51	ग्राम बढढा वाजिदपुर, वि0ख0 व तहसील स्याना	22-08-2020	स्याना
52	मौ0 राजाराम पट्टी, नगरीय क्षेत्र स्याना	22-08-2020	स्याना
53	ग्राम किसौली, वि0ख0 अगौता तहसील बुलन्दशहर	22-08-2020	अगौता
54	मौ0 अराजियात, पुरानी जेल के पीछे, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर	22-08-2020	को0नगर बुलन्दशहर
55	रामा एन्कलेव, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर	22-08-2020	को0नगर बुलन्दशहर
56	लोधी कालोनी, पन्नी नगर, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर	22-08-2020	को0नगर बुलन्दशहर
57	मौ0 गोपालपुरी, नगर पंचायत नरौरा तहसील डिबाई	22-08-2020	नरौरा
58	लक्ष्मी बिहार कालोनी, नगरीय क्षेत्र स्याना	23-08-2020	स्याना
59	ग्राम रिवाड़ा, वि0ख0 व तहसील शिकारपुर	23-08-2020	जहाँगीराबाद
60	मौ0 मण्डी हरदेव, नगरीय क्षेत्र डिबाई	23-08-2020	डिबाई
61	मौ0 कस्सावान, नगरीय क्षेत्र डिबाई	23-08-2020	डिबाई
62	शीला सदन गली, मौ0 महादेव, नगरीय क्षेत्र डिबाई	23-08-2020	डिबाई
63	ग्राम शरीफपुर भैंसरोली, वि0ख0 अगौता, तहसील बुलन्दशहर	23-08-2020	अगौता
64	मौ0 लाला किशन दयाल का अहाता, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर	23-08-2020	को0नगर बुलन्दशहर
65	मौ0 पुख्ता बाजार, जहाँगीराबाद तहसील अनूपशहर	23-08-2020	जहाँगीराबाद
66	मौ0 रूई का पेच, नगरीय क्षेत्र सिकन्द्राबाद	24-08-2020	सिकन्द्राबाद
67	माजरा नगला उग्रसेन, ग्राम कुचेसर वि0ख0 बी0बी0नगर तहसील स्याना	24-08-2020	बी0बी0नगर
68	मौ0 पुराना छत्ता, नगरीय क्षेत्र स्याना	24-08-2020	स्याना
69	नगला मोहिउद्दीनपुर, वि0ख0 व तहसील खुर्जा	24-08-2020	खुर्जा नगर
70	सुनारों वाला मौहल्ला, वार्ड नं0-6, कस्बा बी0बी0 नगर तहसील स्याना	25-08-2020	बी0बी0 नगर
71	आदर्श नगर, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर	25-08-2020	को0नगर बुलन्दशहर
72	अम्बा एन्कलेव, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर	25-08-2020	को0नगर बुलन्दशहर
73	जीवन गीत कालोनी, निकट रेनेसां स्कूल, वि0ख0 व तहसील बुलन्दशहर	25-08-2020	को0देहात बुलन्दशहर
74	ग्राम किरा, वि0ख0 व तहसील खुर्जा	25-08-2020	खुर्जा देहात
75	मठ मन्दिर वाली गली, सुभाष रोड, नगरीय क्षेत्र खुर्जा	25-08-2020	खुर्जा नगर
76	दुर्गापुरम, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर	26-08-2020	को0नगर बुलन्दशहर
77	धमैड़ा अड़डा, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर	26-08-2020	को0नगर बुलन्दशहर
78	ग्राम बोढ़ा, वि0ख0 व तहसील सिकन्द्राबाद	26-08-2020	सिकन्द्राबाद
79	ग्राम खैरपुर, वि0ख0 बी0बी0नगर तहसील स्याना	26-08-2020	बी0बी0नगर
80	ग्राम सारसोल, वि0ख0 अर्निया व तहसील खुर्जा	26-08-2020	अर्निया
81	ग्राम नगला कटक, वि0ख0 बी0बी0नगर तहसील स्याना	27-08-2020	बी0बी0नगर
82	मौ0 बाबड़ी, नगरीय क्षेत्र अनूपशहर	27-08-2020	अनूपशहर
83	ग्राम घोसीपुरा, वि0ख0 व तहसील डिबाई	27-08-2020	डिबाई
84	मौ0 मुंशीपाड़ा, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर	27-08-2020	को0नगर बुलन्दशहर

85	मौ0 चौहट्टी, ऊपरकोट, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर	27-08-2020	को0नगर बुलन्दशहर
86	ग्राम चित्तौन, वि0ख0 व तहसील शिकारपुर	27-08-2020	सलैमपुर
87	मौ0 चैनपुरा, नगरीय क्षेत्र शिकारपुर	27-08-2020	शिकारपुर
88	गली नं0 13, मौ0 न्यू शिवपुरी, नगरीय क्षेत्र खुर्जा	27-08-2020	खुर्जा नगर
89	मौ0 खवेशज्ञान, नगरीय क्षेत्र खुर्जा	27-08-2020	खुर्जा नगर
90	लोहे की टंकी, सुभाष रोड, मौ0 पंजाबियान, नगरीय क्षेत्र खुर्जा	27-08-2020	खुर्जा नगर
91	दुर्गा मन्दिर किला रोड, नगरीय क्षेत्र खुर्जा	27-08-2020	खुर्जा नगर
92	ग्राम मऊ, वि0ख0 व तहसील अनूपशहर	28-08-2020	अनूपशहर
93	मौ0 गायत्री नगर, नगरीय क्षेत्र जहाँगीराबाद	28-08-2020	जहाँगीराबाद
94	ग्राम महेशपुर, वि0ख0 लखावटी तहसील बुलन्दशहर	28-08-2020	औरंगाबाद
95	हरी एन्कलेव, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर	28-08-2020	को0नगर बुलन्दशहर
96	आवास विकास-2, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर	28-08-2020	को0नगर बुलन्दशहर
97	मौ0 ईटा रोड़ी, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर	29-08-2020	को0नगर बुलन्दशहर
98	ग्राम परवाना, वि0ख0 जहाँगीराबाद तहसील स्याना	29-08-2020	खानपुर
99	मौ0 बड़ी होली, नियर देवी मन्दिर, नगरीय क्षेत्र खुर्जा	29-08-2020	खुर्जा नगर
100	ग्राम नगला लुपतीपुर, वि0ख0 व तहसील शिकारपुर	29-08-2020	शिकारपुर
101	ग्राम पहाड़पुर हवेली, वि0ख0 व तहसील शिकारपुर	29-08-2020	शिकारपुर
102	ग्राम बुढ़ासी, वि0ख0 पहासू, तहसील शिकारपुर	29-08-2020	छतारी
103	ग्राम स्यारली, वि0ख0 पहासू तहसील शिकारपुर	29-08-2020	अहमदगढ़
104	मौ0 विजय नगर, देवीपुरा-2, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर	30-08-2020	को0नगर बुलन्दशहर
105	फतेहगंज मण्डी, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर	30-08-2020	को0नगर बुलन्दशहर
106	मौ0 साठा, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर	30-08-2020	को0नगर बुलन्दशहर
107	मौ0 सलमा हकान, नियर बिजलीघर नं0-2 नगरीय क्षेत्र खुर्जा	30-08-2020	खुर्जा नगर
108	ग्राम भगवानपुर, वि0ख0 व तहसील खुर्जा	30-08-2020	ककोड़
109	ग्राम असावरी, वि0ख0 व तहसील शिकारपुर	30-08-2020	जहाँगीराबाद
110	ग्राम जवासा, वि0ख0 जहाँगीराबाद तहसील स्याना	30-08-2020	खानपुर

मा0 मुख्य सचिव, गृह (गोपन), अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के कार्यालय पत्र संख्या 1382/2020/सीएक्स-3 दिनांक 31-05-2020 व पत्रांक 1821/2020-सीएक्स-3 दिनांक 24 जुलाई, 2020 के अनुसार कन्टेनमेंट जोन को निम्न प्रकार परिभाषित किया गया है कि:-

- शहरी क्षेत्र:-**
- (1) जहाँ शहरी क्षेत्र में सिंगल केस है वहाँ पर 100 मीटर के रेडियस में अथवा पूरा मौहल्ला, जो भी कम हो।
 - (2) एक से ज्यादा केस होने पर, कलस्टर की स्थिति में, 200 मीटर के रेडियस में कन्टेनमेंट जोन होगा तथा उसके उपरान्त स्थानीय स्तर पर परिस्थितियों के अनुसार बफर जोन का निर्धारण किया जायेगा।
 - (3) आवासीय बहुमंजिला सोसायटियों के सम्बन्ध में कन्टेनमेंट-जोन घोषित करने हेतु निम्नानुसार नीति अपनाई जायेगी-
 - (i) ऐसे बहुमंजिला भवनों/टॉवर वाली सोसायटी में यदि एक ही फ्लोर पर एक या अधिक सक्रिय केस हो तो ऐसे टॉवर/बहुमंजिला भवन को कन्टेनमेंट-जोन घोषित किया जाएगा।
 - (ii) यदि एक सोसायटी में एक से अधिक टॉवरों में सक्रिय केस पाए जाते हैं तो ऐसी सोसायटी में सम्बन्धित टॉवरों तथा सार्वजनिक प्रयोग के स्थानों यथा पार्क, जिम, तरण-ताल, बैंक्वेट-हॉल आदि को भी कन्टेनमेंट जोन में शामिल करते हुए तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाएगा जिससे कि संक्रमण का प्रसार अन्य व्यक्तियों में न होने पाए।
 - (4) वाणिज्यिक/औद्योगिक/कार्यालय भवनों के परिसर में कन्टेनमेंट-जोन के सम्बन्ध में-
 - (i) ऐसे स्थानों पर जहाँ सक्रिय केस/मरीज काम करता रहा हो ऐसे स्थानों को संक्रमण के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से सैनिटाइजेशन/निसंक्रमित करने हेतु 24 घंटों के लिए तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाएगा। कोविड-19 प्रोटोकॉल के दृष्टिगत सैनिटाइजेशन/निसंक्रमित करने के सम्बन्ध में होने वाले व्यय को ऐसे भवनों के अध्यासियों द्वारा वहन किया जाएगा।
 - (ii) ऐसे भवनों/परिसरों को पूर्णरूप से सैनिटाइज/निसंक्रमित करने के उपरान्त ही पुनः प्रयोग किया जाएगा।
 - (5) सक्रिय केस यदि बहुमंजिला टॉवर/भवन में पाया जाए
 - (i) यदि एकल-तल (Single-Floor) पर सक्रिय केस पाया जाए तो ऐसा तल सील कर दिया जाएगा।
 - (ii) यदि एक से अधिक तलों पर सक्रिय केस पाए जाए तो सम्पूर्ण भवन/टॉवर को सील कर दिया जाएगा। ऐसे तलों (Floors)/भवनों को पुनः प्रयोग करने के सम्बन्ध में बिन्दु संख्या- 4(ii) के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।
- ग्रामीण क्षेत्र:-**
- (1) जहाँ सिंगल केस है, वहाँ पर राजस्व ग्राम के सम्बन्धित मजरे की आबादी।
 - (2) यदि गाँव में एक से अधिक केस (कलस्टर) हैं तो ऐसी स्थिति में उक्त राजस्व ग्राम के सम्बन्धित मजरों की आबादी कन्टेनमेंट जोन होगा। इस गाँव के इर्द-गिर्द पड़ने वाले दूसरे राजस्व ग्रामों के मजरे बफर जोन में आयेगें।
- कन्टेनमेंट जोन में निम्न प्रकार व्यवस्था रहेगी:-

- 1- कन्टेनमेंट जोन में केवल स्वास्थ्य विभाग, स्वच्छता के कार्य एवं डोर स्टेप डिसेल्स के कार्य की ही अनुमति होगी। कन्टेनमेंट जोन में कड़ा परिधीय नियंत्रण रखते हुए यह भी सुनिश्चित किया जाए कि केवल चिकित्सकीय आपातकालीन स्थिति और आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की पूर्ति को छोड़कर किसी भी व्यक्ति का अन्दर अथवा बाहर की ओर आवागमन न हो, इस सम्बन्ध में केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा राज्य सरकार के दिशा निर्देशों का ध्यान रखा जाएगा।
- 2- कन्टेनमेंट जोन में सघन कान्टेक्ट ट्रेसिंग, हाउस टू हाउस सर्विलांस और यथावश्यक चिकित्सकीय गतिविधियां होगी।
- 3- कन्टेनमेंट जोन का आकार यथासंभव इस प्रकार रखा जाए कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन हो।
- 4- कन्टेनमेंट-जोन के बाहर ऐसे क्षेत्र जहाँ नये केस होने की सम्भावना हो उन्हें बफर-जोन के रूप में चिन्हित किया जाएगा जिनके अन्तर्गत होने वाली गतिविधियों के सम्बन्ध में स्थानीय प्राधिकारी/जिला-प्रशासन अपने स्तर से दिशा-निर्देश निर्गत करेंगे।
- 5- कन्टेनमेंट जोन में शत-प्रतिशत घरों की स्वास्थ्य जाँच एवं सेनीटाइजेशन संबंधित अधिकारियों द्वारा किया जायेगा तथा फायर इंजन से Disinfectant का छिड़काव किया जायेगा। लोगों को फेस मास्क भी वितरित किये जायेंगे।
- 6- कन्टेनमेंट जोन में डॉक्टर सहित एम्बुलेंस लगायी जायेगी। यदि किसी को अस्पताल ले जाना हो तो उसे एम्बुलेन्स या A.L.S. से ले जाया जायेगा। किसी भी दशा में निजी वाहन-प्रयोग की अनुमति नहीं दी जायेगी। किसी अपरिहार्य स्थिति में उक्त सम्बन्धित क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति चिकित्सा विभाग के कन्ट्रोल रूम 7839791647 अथवा श्री बी० के० श्रीवास्तव, डी०एम०ओ० (मो०नं०-9412425890) से सम्पर्क कर सकते हैं।
- 7- कन्टेनमेंट जोन में सघन पैट्रोलिंग की जायेगी तथा 112 वाहनों की विशेष ड्यूटी लगायी जायेगी। पुलिस तथा 112 की गाड़ियों से लाउडस्पीकर से घोषणा करके जनता को जागरूक किया जायेगा। यदि कोई व्यक्ति फिर भी धारा-144 द०प्र०सं० के निर्देशों का उल्लंघन करेगा, तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
- 8- कन्टेनमेंट जोन में सेक्टर-स्क्रीम लागू की जायेगी तथा पिकेट ड्यूटी लगायी जायेगी।
- 9- कन्टेनमेंट जोन क्षेत्र में आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति में लगे व्यक्तियों को छोड़कर शेष सभी व्यक्तियों के पूर्व में निर्गत किये गये पास निरस्त किये जाते हैं।
- 10- उक्त अवधि में निर्धारित प्रोटोकाल के अनुसार सम्बन्धित क्षेत्र में रहने वाले समस्त व्यक्ति अपने-अपने आवास (इंडोर) में ही रहेंगे। उक्त आदेशों का उल्लंघन उपरोक्त अधिसूचना के प्रस्तर-15(पन्द्रह) में प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार भारतीय दण्ड संहिता (अधिनियम संख्या-45 सन 1980) की धारा-188 के अधीन दण्डनीय कोई अपराध किया समझा जायेगा। उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

जिला मजिस्ट्रेट,
बुलन्दशहर।

दिनांक: 30 अगस्त, 2020

पृष्ठांक संख्या: 279 /एस०टी०-डी०एम०/2020

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- मा० मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 2- गृह सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को उनके पत्रांक सं०40-3/2020-डीएम-1(ए) दिनांक 29 जुलाई 2020 एवं मा०मुख्य सचिव, उ०प्र०शासन, लखनऊ के संदर्भित पत्र के प्रस्तर 4(11) के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- प्रमुख सचिव, मा०मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 4- अपर मुख्य सचिव, गृह, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 5- प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 6- आयुक्त मेरठ मण्डल मेरठ।
- 7- उपाध्यक्ष, बुलन्दशहर विकास प्राधिकरण, बुलन्दशहर।
- 8- वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक, बुलन्दशहर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि आदेश का प्रभावी अनुपालन कराये जाने हेतु संबंधित पुलिस अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें तथा प्रतिबन्धित क्षेत्र में नियुक्त मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस अधिकारियों की ड्यूटी लगाने का कष्ट करें।
- 9- मुख्य विकास अधिकारी, बुलन्दशहर।
- 10- अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), बुलन्दशहर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रतिबन्धित स्थलों पर मजिस्ट्रेट की रोस्टरवार ड्यूटी लगाते हुए तैनाती आदेश जारी करायें।
- 11- अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)/(न्यायिक), बुलन्दशहर।
- 12- अपर पुलिस अधीक्षक, नगर/देहात, बुलन्दशहर।
- 13- मुख्य चिकित्साधिकारी, बुलन्दशहर को इस निर्देश के साथ कि प्रतिबन्धित क्षेत्र एवं उसके आसपास के क्षेत्र में निर्धारित प्रोटोकाल के अनुसार सैनिटाइजेशन, स्टाफ डिप्लॉयमेंट आदि यथा वॉछित कार्यवाही सुनिश्चित करायें।
- 14- नगर मजिस्ट्रेट/सम्बन्धित उप-जिलाधिकारी, जनपद बुलन्दशहर को इस निर्देश के साथ कि आदेश की प्रति सम्बन्धित स्तर पर चस्पा कराते हुए परिसर एवं आस-पास इसकी विधिवत घोषणा कराकर सूचित करायें। साथ ही चिकित्सा एवं पुलिस विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए आदेश का कड़ाई से अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करें।
- 15- समस्त सेक्टर मजिस्ट्रेट, जनपद बुलन्दशहर को अनुपालनार्थ
- 16- नियंत्रक, सिविल डिफेंस, नरौरा जनपद बुलन्दशहर।
- 17- जिला सूचना अधिकारी, बुलन्दशहर।
- 18- समस्त संबंधित को अनुपालनार्थ।

जिला मजिस्ट्रेट,
बुलन्दशहर।